2025:CGHC:42696

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका सिविल क्रमांक 329/2013**

**निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक : 07.08.2025**

**निर्णय पारित करने का दिनांकः 22.08.2025**

अमिताभ तिवारी पिता आर.डब्ल्यू. तिवारी, आयु लगभग 51 वर्ष, व्यवसाय– अधिवक्ता, निवासी– 27 खोली, थाना– सिविल लाइन, बिलासपुर (छ.ग.)

**––– याचिकाकर्ता**

**विरुद्ध**

**1–** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, विधि विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

**2–** कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

**3–** नायब तहसीलदार, सीपत, बिलासपुर

**4–** रामाधार बुनकर पिता रिमन प्रसाद बुनकर,आयु लगभग 50 वर्ष, जाति– वस्त्रकार, निवासी– बी.एल. वस्त्रकार, सीपत, थाना –सीपत, जिला व तहसील बिलासपुर (छ.ग.)

**––– उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रवि रंजन सिन्हा, अधिवक्ता सहित श्री शुभम सिंह, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से: श्री रतन पुष्टी, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से: श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

**एवं**

**रिट याचिका सिविल क्रमांक 407/2022**

**1–** रामाधार बुनकर, पिता श्री रिमन प्रसाद बुनकर, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी– ग्राम देवरी, पोस्ट– पंधी, तहसील मस्तूरी, उप–तहसील सीपत, थाना –सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

**––– याचिकाकर्ता**

**विरुद्ध**

**1–** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

**2–** उप सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

**3–** जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

**4–** कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

**5–** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर (छ.ग.)

**6–** नायब तहसीलदार, सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

**7–** अमिताभ तिवारी, पिता श्री आर.डब्ल्यू. तिवारी, आयु लगभग 59 वर्ष, व्यवसाय– कालिका डेयरी, तरुण पुष्कर कॉम्प्लेक्स, मुंगेली नाका चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.), निवासी– 27 खोली, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर (छ.ग.)

**––– उत्तरवादीगण**

---

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 4, 5 व 6 की ओर से: श्री रतन पुष्टी, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से: कोई उपस्थित नहीं।

उत्तरवादी क्रमांक 7 की ओर से: श्री रवि रंजन सिन्हा, अधिवक्ता सहित श्री शुभम सिंह, अधिवक्ता।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल</u>**

**<u>सी.ए.वी. आदेश</u>**

**1.** चूँकि इन दोनों याचिकाओं में समान विवाद्यक अंतर्वलित है, अतः इनका निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

**2.** रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 329/2013 में, याचिकाकर्ता– अमिताभ तिवारी द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर की "नोटरी" के पद पर नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने उक्त पद एक मिथ्या 'जाति प्रमाण पत्र' के आधार पर प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने स्वयं को "अन्य पिछड़ा वर्ग" अर्थात जाति से "महरा" बताया है; जबकि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 407/2022 में, उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर ने उत्तरवादी क्रमांक 2– उप सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 11.10.2021 को जारी आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उन्हें 'नोटरी' के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से तब तक के लिए विरत दिया गया है, जब तक कि नोटरी अधिनियम, 1952 (एतस्मिन पश्चात जिसे 'अधिनियम, 1952' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 5 के अधीन अपेक्षित उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो जाता,

अन्यथा उन्हें 1952 के अधिनियम की धारा 12 व 13 के अधीन अपेक्षित परिणामों का सामना करना होगा।

**3.** अतः, इन याचिकाओं में अंतर्वलित मुख्य प्रश्न यह है कि,

> "क्या, राजस्व प्रकरण क्रमांक 417–बी/121/2002–03 में अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 – रामाधार बुनकर के पक्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, "नोटरी" के पद पर उनकी नियुक्ति को विधि की दृष्टि में संधारणीय माना जा सकता है? "

**4.** अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि राज्य शासन द्वारा जिला बिलासपुर के ग्राम सीपत में "नोटरी" की नियुक्ति हेतु अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुपालन में, याचिकाकर्ता– अमिताभ तिवारी एवं उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर, दोनों ने नोटरी नियम, 1956 (एतस्मिन पश्चात जिसे 'नियम, 1956' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन निर्धारित विहित प्ररूप में उक्त पद हेतु आवेदन किया था, जो कि अधिनियम, 1952 की धारा 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्र शासन द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह आगे प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर ने अपने आवेदन (अनुलग्नक आर–4/2) में यह उल्लेख किया था कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित है। उनके इस कथन का अवलंब लेते हुए, जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 417–बी /121/2002–03 में अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत द्वारा जारी इस आशय के प्रमाण पत्र पर आधारित था कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2009 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से उन्हें अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन, 21 अगस्त, 2009 से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए "नोटरी" के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त नियुक्ति के पश्चात, याचिकाकर्ता– अमिताभ तिवारी द्वारा सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के समक्ष दिनांक 22.07.2010 और पुनः दिनांक 21.05.2012 को एक शिकायत (अनुलग्नक पी–7) की गई। इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि उन्हें "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी से संबंधित होने का ऐसा कोई 'जाति प्रमाण पत्र' जारी नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में संबंधित अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही में उन्हें केवल एक निवास प्रमाण पत्र' जारी किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि शासन के साथ कपट करके वह "नोटरी" के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसलिए, उनकी नियुक्ति अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

**5.** उपरोक्त शिकायत के अनुपालन में, नियम, 1956 के नियम 13 के अंतर्गत परिकल्पित एक जाँच प्रारंभ की गई, और अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक 8622/2906/21–बी/छ.ग./2011, दिनांक 03.12.2011 के माध्यम से कलेक्टर, बिलासपुर को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाँच आयोजित कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही शिकायत दिनांक 22.07.2010 की प्रति एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 417–बी/121/2002–03 में पारित उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर के जाति प्रमाण पत्र की प्रति, जिसमें उन्हें "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी का दर्शाया गया था, उपलब्ध कराई गई।

**6.** उपरोक्त ज्ञापन प्राप्त होने के उपरांत, कलेक्टर, बिलासपुर ने उक्त प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर को इस निर्देश के साथ अग्रेषित किया कि कथित शिकायत के संबंध में जाँच आयोजित कर 15 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी ने तत्पश्चात मामले को चिन्हांकित कर अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत, जिला बिलासपुर को संदर्भित कर दिया। उक्त राजस्व प्राधिकारी ने उक्त निर्देश प्राप्त होने पर इसे प्रकरण क्रमांक 38 बी–121/2011–12 के रूप में पंजीबद्ध किया और अपनी आदेश पत्रक दिनांक 03.02.2012 के माध्यम से जाँच हेतु उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर को तलब किया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के निर्देशों के अनुसार, उत्तरवादी/राज्य द्वारा संपूर्ण जाँच कार्यवाही प्रस्तुत की गई।

**7.** उक्त कार्यवाही के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर उक्त कार्यवाही में उपस्थित हुए और दिनांक 25.02.2012 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। यह आगे प्रतीत होता है कि जाँच आयोजित करने के उपरांत, उक्त प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष दिनांक 27.02.2012 को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह अवलोकन किया गया कि वह "अन्य पिछड़ा वर्ग" (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी से संबंधित है। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रकरण क्रमांक 1284/B–121/2011–12 में अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर को मामले की अनुशंसा कर दी। इस मोड़ पर यह उल्लेखनीय है कि, चूँकि अतिरिक्त तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अपनी यह राय नहीं दी थी कि क्या कथित जाति (महारा) "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी की परिधि के अंतर्गत आती है या नहीं, अतः अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर को विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया गया। इसके अनुपालन में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2012 के माध्यम से विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मामला पुनः अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत को संदर्भित किया। इस बार, उक्त राजस्व प्राधिकारी/अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.05.2012 के माध्यम से यह उल्लेख किया कि उक्त कार्यवाही अर्थात् राजस्व प्रकरण क्रमांक 417–बी/121/2002–03 में उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर को "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी से संबंधित होने का ऐसा कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में उन्हें केवल एक निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने इससे सहमत होते हुए दिनांक 02.06.2012 को मामला कलेक्टर, बिलासपुर को संदर्भित किया, जिन्होंने तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए कि उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बुनकर "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, अपनी रिपोर्ट ज्ञापन दिनांक 03.08.2012 के माध्यम से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर को प्रेषित कर दी।

**8.** उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात, राज्य शासन द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 407/2022 में संलग्न आक्षेपित आदेश/ज्ञापन दिनांक 11.10.2021 (अनुलग्नक पी–1) के माध्यम से यह अभिमत व्यक्त किया गया कि कथित प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया मिथ्या एवं कूटरचित है। तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर को उनके लाइसेंस के नवीनीकरण तक "नोटरी" के रूप में कार्य करने से विरत कर दिया गया है, अन्यथा उक्त अधिनियम, 1952 की धारा 9 के उल्लंघन हेतु अधिनियम की धारा 12 व 13 के अधीन परिकल्पित कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

**9.** इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों से यह परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर अवलोकन किया गया है, कि राज्य शासन द्वारा अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत "नोटरी" की नियुक्ति हेतु जारी अधिसूचना के अनुपालन में, नियम, 1956 के नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन निर्मित विहित प्ररूप में याचिकाकर्ता– अमिताभ तिवारी एवं उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर द्वारा आवेदन किया गया था। तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर के पक्ष में दिनांक 21.08.2009 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, जिसमें राजस्व प्रकरण क्रमांक 417–बी/121/2002–03 में अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत द्वारा जारी उनके जाति प्रमाण पत्र को "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए उन्हें "नोटरी" के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया था; और याचिकाकर्ता– अमिताभ तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, नियम, 1956 के नियम 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आयोजित जाँच के उपरांत, राज्य शासन द्वारा अपने आदेश/ज्ञापन दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से उक्त प्रमाण पत्र को कूट रचित एवं बनावटी पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**10.** चाहे जो भी हो, इस स्तर पर यह विचार किया जाना आवश्यक है कि उक्त राजस्व प्रकरण क्र. 417–बी/121/2002–03 में अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत द्वारा कथित प्रमाण पत्र जारी किए जाने से बहुत पूर्व, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कुमारी माधुरी पाटिल व एक अन्य विरुद्ध अपर आयुक्त, जनजातीय विकास व अन्य (1994) 6 SCC 241** में प्रकाशित प्रकरण में यह निर्देश और/या दिशा–निर्देश जारी किया गया था कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और उप–कलेक्टर या उप–आयुक्त के समक्ष किया जाएगा और प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, न कि तालुक या मंडल स्तर के अधिकारी द्वारा। इस संबंध में कण्डिका 13 में की गई सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:–

> "13. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुचित रुप से प्राप्त किया गया प्रवेश या नियुक्ति, अनिवार्य रूप से उन वास्तविक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके संवैधानिक लाभों से वंचित करने का प्रभाव रखती है, जो

संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं। वास्तविक अभ्यर्थियों को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के अभाव में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या राज्य के अधीन पदों या कार्यालयों में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाता है। अपात्र या अवास्तविक व्यक्ति, जो मिथ्या रूप से प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं, वे विलंबकारी युक्तियों का आश्रय लेते हैं और छानबीन समिति द्वारा की जाने वाली जाँच को पूरा करने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। यह सत्य है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन सामान्यतः माता–पिता द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उस समय छात्र अक्सर अवयस्क होता है। यह माता–पिता या अभिभावक ही होते हैं जो मिथ्या स्थिति प्रमाण पत्र का दावा करके कपट कर सकते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि जारी किए गए प्रमाण पत्रों की शीघ्र से शीघ्र और अत्यंत शीघ्रता एवं तत्परता के साथ छानबीन की जाए। उस प्रयोजन के लिए, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने, उनकी छानबीन और उनके अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हो सकती है:

1. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और उप–कलेक्टर या उप–आयुक्त के समक्ष किया जाएगा और प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, न कि तालुक या मंडल स्तर के अधिकारी द्वारा।"

2 से 15 xxx xxx xxx "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**11.** उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के काफी समय पश्चात, "छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013" (एतस्मिन पश्चात जिसे 'अधिनियम, 2013' के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांक 29.04.2013 से प्रभावशील हुआ। इस अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (ख) "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित करता है, जिसे ऐसे क्षेत्र या ऐसे प्रयोजनों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करना होता है जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई है। उक्त प्रावधान इस प्रयोजनार्थ सुसंगत है, जो निम्नानुसार है:–

**4. सामजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये प्रक्रिया–** (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी विहित की जाए, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परंतु जहां सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष हो कि ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के निरस्त किये जाने का पर्याप्त कारण है, तो निरस्त करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा तद्नुसार आवेदक को सूचित करेगा.

(2) इस धारा की उप–धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र, स्थायी प्रकृति का दस्तावेज होगा, जिसकी वैधता समय द्वारा सीमित नहीं होगी:

परन्तु जब आवेदक मूल प्रमाणपत्र खो जाने की घोषणा करता है तब ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी की जा सकेगी.

(3) सक्षम प्राधिकारी से भिन्न किसी वृक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र, किसी लोक नियोजन, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों को उपार्जित किसी लाभ के उपभोग के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** उपरोक्त प्रावधान की उप–धारा (3) के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यदि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र "सक्षम प्राधिकारी" के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**13.** उपरोक्त संदर्भित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह स्वतः स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और उप–कलेक्टर या उप–आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा, किंतु किसी भी स्थिति में, इसे उक्त अधिकारियों के पद से निम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। अतः, अतिरिक्त तहसीलदार, सीपत, जो उन अधिकारियों के पद से निम्न श्रेणी में आते हैं, उन्हें ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं माना जा सकता है और उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, न तो इसे स्वीकार किया जा सकता है और न ही इसका कोई अवलंब लिया जा सकता है।

**14.** यद्यपि, उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि राहुल सोनी द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि कथित प्रमाण पत्र को अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन गठित 'उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति' को संदर्भित किया जाए, किंतु जैसा कि उपरोक्त अवलोकन किया गया है, चूंकि कथित "प्रमाण पत्र" सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

किया जाना नहीं पाया गया था, अतः उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार इसे उक्त समिति को संदर्भित करने से कोई प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा।

**15.** उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, राज्य शासन द्वारा दिनांक 21.08.2009 को अधिनियम, 1952 एवं उसके अधीन निर्मित नियम, 1956 के अधीन उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर की "नोटरी" के रूप में की गई नियुक्ति, जिसके माध्यम से उन्हें कथित "अन्य पिछड़ा वर्ग" जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया था, विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं मानी जा सकती।

**16.** फलस्वरुप, याचिकाकर्ता– अमिताभ तिवारी द्वारा प्रस्तुत याचिका रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 329/2013 "अमिताभ तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य" स्वीकार की जाती है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 4– रामाधार बुनकर द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 407/2022 "रामाधार बुनकर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य" एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

**सही/–**

**(संजय एस. अग्रवाल)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**